

## नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) अमेठी

उत्तर क्षेत्र-2, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) जायस, अमेठी

### सहभागिता पुष्टि प्रपत्र

विभाग/ कार्यालय का नाम : राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय  
कार्यालय प्रमुख का नाम : प्रो. भृगु नाथ सिंह  
दूरभाष सं./ मोबाइल नं. : 0535-297 8065

आपके पत्रांक ईमेल दिनांक 09/06/2025 के क्रम में

अवगत कराना है कि हमारे कार्यालय / संस्थान से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सहभागिता हेतु दिनांक 30/6/2025 पूर्वान्ह/ अप्सन्ह 11:30 बजे निम्न अधिकारी गण उपस्थित रहेंगे-

01. श्री अजय कुमार पाठक पदनाम: सलाहकार (क्यू.ए.पी.सी.)

यदि कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष के साथ राजभाषा अधिकारी/ अन्य अधिकारी का सहयोगी के रूप में बैठक में शामिल होना प्रस्तावित हो तो

02. श्री विशाल त्रिपाठी पदनाम: राजभाषा अधिकारी/ अन्य अधिकारी पद प्रायोगिकी अधिकारी

यदि अपरिहार्य कारणों से कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष उक्त बैठक में सम्मिलित हो पाने में असमर्थ हों तो उनके द्वारा नामित अधिकारी (कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष के बाद नम्बर 2 अधिकारी)

श्री ..... पदनाम: .....

कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष के बैठक में उपस्थित न हो पाने का कारण

.....  
.....

भृगु नाथ सिंह

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख

कार्यालय की मुहर  
दिनांक 28/6/2025

दिसंबर 2024 की समाप्त तिमाही

**भाग-1 (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)**

कार्यालय का नाम और पूरा पता राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय,  
फ़ूरसन्गंज, अमरी, उत्तर प्रदेश - 229302

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी कोड 0535 फोन नं. 2978065 ई-मेल Registrar@gnau.ac.in

**1. माननीय मंत्री जी को भेजी गई फ़ाइलों का ब्यौरा**

- i. तिमाही के दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फ़ाइलें भेजी गईं-  
ii. इसमें से कितनी फ़ाइलें हिंदी में भेजी गईं-

- 26  
- 26

**2. सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फ़ाइलों का ब्यौरा**

- i. सचिव/ समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गईं  
ii. इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की गई/कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए  
iii. सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात  
iv. हिंदी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या

- 26  
- 26  
- 26  
- 26

**3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज**

- (क) जारी दस्तावेज की कुल संख्या  
(ख) द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेज की संख्या  
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेज  
(घ) केवल हिंदी में जारी किए गए दस्तावेज

4  
4  
0  
0

(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) में जारी)

**4. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)**

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या  
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे  
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी में दिए गए  
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

6  
1  
0  
5

**5. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

|             | अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या | इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             | 1                                     | 2                                         | 3                                            | 4                                         |
| 'क' क्षेत्र | 10                                    | 0                                         | 2                                            | 8                                         |
| 'ख' क्षेत्र | 0                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                         |

**6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा**

|                | हिंदी में | अंग्रेजी में | भेजे गए पत्रों की कुल संख्या | हिंदी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत |
|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                | 1         | 2            | 3                            | 3                                   |
| 'क' क्षेत्र को | 35        | 6            | 41                           | 85.37                               |
| 'ख' क्षेत्र को | 6         | 0            | 6                            | 100.00                              |
| 'ग' क्षेत्र को | 8         | 0            | 8                            | 100.00                              |

**7. फ़ाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा\***

- हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या  
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या  
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या  
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या

263  
56  
319  
0

(\*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।)

(\*\*मद संख्या 4, 5 व 6 के संबंध में हिंदी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

## 8. हिंदी कार्यशालाएं

| तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं की संख्या | इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                                           | अधिकारी                                  | कर्मचारी |
| 1                                                         | 2                                        | 3        |
| 1                                                         | 0                                        | 6        |

नोट : कार्यालयों में हर कार्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

## 9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

- क राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि 27/12/24
- ख अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या 0
- ग अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या 0
- घ क्या इन बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए हैं ? हाँ/नहीं

## 10. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

लागू नहीं

## 11. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 कैरेक्टर)

- i) नवोन्मेषी कार्य
- ii) विशिष्ट आयोजन/ उल्लेखनीय कार्य
- iii) हिंदी माध्यम में किये गए अन्य आयोजन

शून्य

## 12. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

प्रो. भृगु नाथ सिंह  
कुलपति

पदनाम

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर

0535-2978065

फैक्स नम्बर

ई-मेल का पता

vcg@gnau.ac.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : BDDL 7098

वित्तीय वर्ष : 2024-25

दिसंबर 2024

"मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न .....को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-I/II) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह से समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय/मुख्यालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"



(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

प्रो. मधुनाथ सिंह

पदनाम

कुलपति

मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम

रा. हा. रा. वि. वि.

दूरभाष/फैक्स

0535-2978065

ई-मेल का पता

vc@rghu.ac.in

तिथि :-

स्थान :-

कुलपति / Vice Chancellor  
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय  
Rajiv Gandhi National Aviation University  
फुरसतगंज, अमेठी / Fursatganj, Amethi,  
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh-229302.

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

मार्च 2025 को समाप्त तिमाही

भाग-1 (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय,  
फ़ारसना, अमेठी, उ.प्र. - 229302

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फ़ोन नं.: एस.टी.डी कोड 0535 फ़ोन नं. 2978065 ई-मेल Registrar@gnau.ac.in

1. माननीय मंत्री जी को भेजी गई फ़ाइलों का ब्यौरा

- i. तिमाही के दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फ़ाइलें भेजी गईं-  
ii. इसमें से कितनी फ़ाइलें हिंदी में भेजी गईं-

- शून्य  
- शून्य

2. सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फ़ाइलों का ब्यौरा

- i. सचिव/ समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गईं  
ii. इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की गई/कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए  
iii. सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात  
iv. हिंदी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या

- शून्य  
- शून्य  
- शून्य  
- शून्य

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज

- (क) जारी दस्तावेज की कुल संख्या  
(ख) द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेज की संख्या  
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेज  
(घ) केवल हिंदी में जारी किए गए दस्तावेज

13  
13  
0  
0

(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) में जारी)

4. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या  
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे  
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी में दिए गए  
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

2  
2  
0  
0

5. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

|             | अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या | इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए | इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             | 1                                     | 2                                         | 3                                            | 4                                         |
| 'क' क्षेत्र | 63                                    | 15                                        | 0                                            | 45                                        |
| 'ख' क्षेत्र | 2                                     | 0                                         | 0                                            | 2                                         |

6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा

|                | हिंदी में | अंग्रेजी में | भेजे गए पत्रों की कुल संख्या | हिंदी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत |
|----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                | 1         | 2            | 3                            | 3                                   |
| 'क' क्षेत्र को | 49        | 13           | 62                           | 79.03                               |
| 'ख' क्षेत्र को | 1         | 0            | 1                            | 100.00                              |
| 'ग' क्षेत्र को | 10        | 0            | 10                           | 100.00                              |

7. फ़ाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा\*

- हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या  
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या  
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या  
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या

269  
46  
315  
0

(\*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।)

(\*\*मद संख्या 4, 5 व 6 के संबंध में हिंदी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

## 8. हिंदी कार्यशालाएं

| तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं की संख्या | इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                                                           | अधिकारी                                 | कर्मचारी |
| 1                                                         | 2                                       | 3        |
| 1                                                         | 0                                       | 5        |

नोट : कार्यालयों में हर कर्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

## 9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

- क राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि 19/3/2025
- ख अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या 0
- ग अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या 0
- घ क्या इन बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए हैं ? हाँ/नहीं

## 10. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

नारू नष्ट

## 11. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 कैरेक्टर)

- i) नवोन्मेषी कार्य
- ii) विशिष्ट आयोजन/ उल्लेखनीय कार्य
- iii) हिंदी माध्यम में किये गए अन्य आयोजन

शून्य

## 12. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

श्री. भृगु नाथ सिंह

पदनाम

कुलपति

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर

0535-2978065

फैक्स नम्बर

—

ई-मेल का पता

vc@ignau.ac.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : BDDL 7098

वित्तीय वर्ष : 2024-25

"मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न <sup>मार्च 2025</sup> को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-I/II) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह से समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय/मुख्यालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

*महेश नाथ सिंह*

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

श्री. *महेश नाथ सिंह*

पदनाम

*कुलपति*

मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम

*रा. रा. रा. वि. वि.*

दूरभाष/फैक्स

*0535-2978065*

ई-मेल का पता

*vc@rgnau.ac.in*

तिथि :-

स्थान :- *फुरसतगंज*

कुलपति / Vice Chancellor  
राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय  
Rajiv Gandhi National Aviation University  
फुरसतगंज, अमेठी / Fursatganj, Amethi,  
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh-229302.

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

(इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भरा जाए)

|        |                                                                                                                                                   |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. (i) | क्या कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) (अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ? | हाँ/नहीं |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

(ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण:-

| कुल कार्यालयों की संख्या | अधिसूचित कार्यालयों की संख्या | शेष कार्यालयों को अधिसूचित करने हेतु की गयी कार्रवाई |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                             | 3                                                    |
| 0                        | 0                             | 0                                                    |

2(i) अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान

|     |                                                                | अधिकारी   | कर्मचारी         | कुल संख्या |                  |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|---|
|     |                                                                | 1         | 2                | 3          |                  |   |
| (क) | अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या                       | 2         | 3                | 5          |                  |   |
| (ख) | अनुसचिवीय कार्य से सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या * | 2         | 1                | 3          |                  |   |
| (ग) | उपर्युक्त (क) में से हिंदी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी   | कार्यसाधक | प्रवीणता प्राप्त | कार्यसाधक  | प्रवीणता प्राप्त |   |
|     |                                                                | 0         | 1                | 1          | 1                | 3 |
| (घ) | कितने कर्मी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं?                | 0         | 0                | 0          | 0                | 0 |
| (ङ) | हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष                                 | 0         | 0                | 0          | 0                | 0 |

\* कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो फाइल कार्य/पत्राचार से जुड़ा है, अनुसचिवीय की श्रेणी में माना जाएगा

2(ii). हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान

|     |                                            | कुल संख्या | हिंदी में प्रशिक्षित की संख्या | प्रशिक्षित में से कितने हिंदी में काम करते हैं। | प्रशिक्षण के लिए शेष |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                            | 1          | 2                              | 3                                               | 4                    |
| (क) | आशुलिपिक *                                 | 0          | 0                              | 0                                               | 0                    |
| (ख) | टंकक/लिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी/निजी सहायक | 0          | 0                              | 0                                               | 0                    |
| (ग) | कर/पोस्टल सहायक आदि                        | 0          | 0                              | 0                                               | 0                    |

\* इसमें निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, प्रधान स्टाफ अधिकारी भी शामिल हैं

2(iii). अनुवाद का ज्ञान

|     |                                                  | अधिकारी | कर्मचारी | कुल संख्या |
|-----|--------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| (क) | कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।   | 0       | 0        | 0          |
| (ख) | उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त। | 0       | 0        | 0          |
| (ग) | कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।            | 0       | 0        | 0          |

3. कंप्यूटर पर हिंदी टंकण करने के लिए प्रशिक्षण

| कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या | कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षितों की संख्या | कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                                 | 3                                              |
| 5                                    | 0                                                 | 3                                              |

## 4. कंप्यूटर/लैपटॉप से संबंधित विवरण

| कंप्यूटर/लैपटॉप की कुल संख्या | यूनिफाइड सक्षम (enabled) कंप्यूटर/लैपटॉप की संख्या | हिंदी में किये गए कार्य का प्रतिशत |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                             | 2                                                  | 3                                  |
| 137                           | 124                                                |                                    |
|                               |                                                    |                                    |

## 5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

|                                                              | कुल संख्या | द्विभाषी |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                                                              | 1          | 2        |
| (क) अधिनियम/नियम/कार्यालयीन कोड/मैनुअल/प्रक्रिया साहित्य आदि | 3          | 2        |
| (ख) मानकीकृत प्रपत्र                                         | 11         | 11       |

## 6. (i) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु कुल कितने कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए:-

(ii) शेष कार्मिकों की संख्या :-

## 7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए)

| प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा (नाम) | प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में) |                               |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण    | अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण | मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण |
| 1                                     | 2                             | 3                             | 4                                   |
| 0                                     | 0                             | 0                             | 0                                   |

## 8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा से संबंधित निरीक्षण

(क) (i) अनुभागों की कुल संख्या

(ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या

(ख) (i) अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि (यदि कोई हो) की कुल संख्या

(ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या

(ग) हिंदी में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट अनुभागों की संख्या

## 9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

| कुल संख्या | हिंदी में | अंग्रेजी में |
|------------|-----------|--------------|
| 1          | 2         | 3            |
| 0          | 0         | 0            |

## 10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (ई-बुक/डिजिटल माध्यम/ई-हिंदी समाचार पत्र सहित)

क वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय

ख हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय

## 11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य

| अधिकारियों की कुल संख्या | हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या | कॉलम(2) में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या |                        |                              |                              |                             |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                          |                                       | नहीं करते हैं                                       | 25 प्रतिशत तक करते हैं | 26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं | 51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं | 76 प्रतिशत से अधिक करते हैं | शत-प्रतिशत करते हैं |
| 1                        | 2                                     | 3                                                   | 4                      | 5                            | 6                            | 7                           | 8                   |
| 2                        | 1                                     | 0                                                   | 1                      | 0                            | 0                            | 0                           | 0                   |

12. हिंदी जानने वाले (प्रवीणता या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) उप सचिव/समकक्ष के नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य

| अधिकारियों की कुल संख्या | हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या | कॉलम(2) में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या |                        |                              |                              |                             |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                          |                                       | नहीं करते हैं                                       | 25 प्रतिशत तक करते हैं | 26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं | 51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं | 76 प्रतिशत से अधिक करते हैं | शत-प्रतिशत करते हैं |
| 1                        | 2                                     | 3                                                   | 4                      | 5                            | 6                            | 7                           | 8                   |
| 0                        | 0                                     | 0                                                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                           | 0                   |

13. हिंदी के पद

| पदनाम         | पदों की संख्या (मुख्यालय में) |       | पदों की संख्या (अधीनस्थ कार्यालयों में) |       |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
|               | स्वीकृत                       | रिक्त | स्वीकृत                                 | रिक्त |
| 1             | 2                             | 3     | 4                                       | 5     |
| हिंदी अधिकारी | 1                             | 1     | —                                       | —     |

14. वेबसाइट (संगत स्थान पर टिक चिह्नित करें)

| वेबसाइट का पता           | केवल अंग्रेजी में | आंशिक रूप से द्विभाषी | पूरी तरह से द्विभाषी | वेबसाइट खुलते समय हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                 | 3                     | 4                    | 5                                                        |
| https://www.ignau.ac.in/ | NO                | Yes                   | NO                   | Yes                                                      |

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण :-

- (क) हिंदी दिवस/ सप्ताह/पखवाड़ा/माह(कब से कब तक)
- (ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय
- (ग) उपर्युक्त (क) के अलावा हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय (यदि कोई हो)
- (घ) नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो)

14 से 30 सितंबर 2024

16. केवल अधीनस्थ कार्यालयों के लिए :-

क क्या आपका कार्यालय नराकास का सदस्य है?

हाँ/नहीं

ख पिछली बैठक के आयोजन की तारीख :-

25 नवंबर 2024

ग क्या विभागाध्यक्ष ने विचाराधीन वर्ष में नराकास की दोनों बैठकों में भाग लिया?

नहीं

17. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

श्री. भूषण सिंह

पदनाम

कुलपति

दूरभाष नम्बर

0535-2704903

फैक्स नम्बर

ई-मेल का पता

vc@ignau.ac.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : BDDL 7098

वित्तीय वर्ष : 2024-25

"मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न <sup>मार्च 2025</sup> को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/II) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह से समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय/मुख्यालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"



(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम श्री. भूपाल सिंहपदनाम कुलपतिमंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम रा. शा. श. वि. वि.दूरभाष/फैक्स 0535-2978065ई-मेल का पता Vc@Rajghana.ac.in

तिथि:-

स्थान:-

कुलपति / Vice Chancellor  
राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय  
Rajiv Gandhi National Aviation University,  
फुरसतगंज, अमेठी / Fursatganj, Amethi,  
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh-229302.

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।